

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय- डा० रामेश्वर साफी, सेवा निवृत्त, सिविल सर्जन, सुपौल को 90% पेंशन/उपदान की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में कहना है कि डा० रामेश्वर साफी, सेवा निवृत्त, सिविल सर्जन, सुपौल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित रहने एवं निरीक्षण प्रति 295/16-17, 287/16-17, 11/14-15 एवं 253/14-15 लंबित रहने के फलस्वरूप इन्हें 90% पेंशन/उपदान की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । डा० रामेश्वर साफी के सेवा निवृत्ति की तिथि दिनांक 31.07.2017 है, अतएव दिनांक 01.08.2017 के प्रभाव से पेंशन देय होगा ।

2) इसमें विभागीय कार्यालय आदेश सं०-888(5) दिनांक 11.07.2018 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि महालेखाकार, बिहार द्वारा निर्धारित अनुमान्य राशि से अधिक राशि की निकासी डा० रामेश्वर साफी द्वारा कर ली जाती है तो की गई अधिकाई निकासी, उन्हें वापस करना होगा ।

4) इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक :-

- (क) पेंशन-प्रपत्र 4 की दो प्रति ।
- (ख) संयुक्त फोटो ।
- (ग) हस्ताक्षर का नमूना ।
- (घ) पारिवारिक सदस्यों की सूची ।
- (ङ) पेंशन/उपदान की गणना तालिका ।
- (च) पेंशन/उपदान रूपान्तरण की स्वीकृति ।
- (छ) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र ।
- (ज) भवन प्रमंडल, सुपौल द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र ।
- (झ) विभागीय बकाया अनापति प्रमाण पत्र ।

5) महालेखाकार बिहार, पटना कृपया सभी बकाये के संबंध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार-पत्र निर्गत करेंगे ।

विश्वासभाजन,
ह० / -
(जगदीश कुमार)

ज्ञापांक- 3/पेन-01-25/2017- 38(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 10/07/19
प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: सिविल सर्जन, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि: डा0 रामेश्वर साफी, सेवा निवृत्त, सिविल सर्जन, सुपौल। पत्राचार
पता-मोहल्ला-बेनीपट्टी, घोबी टोला (कबीर चौक), डाकघर+थाना-बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी, पिन
कोड-847223 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड
करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी